राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 636वीं बैठक दिनांक 13/04/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :--

- 1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
- 3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
- 4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
- 5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
- 6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. <u>Case No. - 9241/2022 M/s J.P.Minerals Industries, Smt. Renu Banshal, Prop., E-8, 9, 10, Industrial Area, Jaderua, Dist. Morena, MP - 476001. Environment Clearance for Cement Grinding Unit, Capacity- 300TPD (Ball Mill 3X100 TPD) at E-8, 9, 10, Industrial Area, Jaderua, Tehsil Joura, Dist. Morena, (MP). Category: 3(b). Cement Grinding Unit.</u>

This is a case of Cement Grinding Unit Capacity- 300TPD (Ball Mill 3X100 TPD). The project is covered as item 3(b) in the schedule of EIA notification as standalone grinding unit and hence requires EC from SEIAA before commencement of any activity at site. The application was on-line forwarded by SEIAA to SEAC for scoping so as to determine TOR to carry out EIA and prepare EMP for the project.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 581वीं दिनांक 24/05/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण आज सेक की 632वीं बैठक दिनांक 21/03/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

The EIA was presented by Env. Consultant Dr. Shalini Gupta & Shri Purshottam Kumar Sharma from M/s. Ascenso Enviro Private Limited, and Shri Dharmendra Raion behalf of PP, wherein Env. Consultant stated that proposed Cement Grinding Unit is as per EIA notification 14th September 2006 and subsequent amendments our project is coming under Category 'B' and EC Violation Project. During presentation, following details were submitted by PP:

✓ M/s J.P. Minerals Industries proposes to install Cement Grinding Unit with Capacity of 300 ton per day (i.e. 90,000 TPA) and is located at Area - 0.32 Acre (0.13 Ha) E-8, 9, 10, Industrial Area, Jaderua, Dist- Morena, and State -Madhya Pradesh.

S.No.	PARTICULARS	DESCRIPTION	
1.	Project Name	Cement Grinding Unit	
2.	<b>Location of Project Site</b>	Village : Jaderua, District : Morena, State: Madhya Pradesh	
3.	Project Site Area	Area - 0.32 Acre (i.e. 0.13 Ha)	
4.	Production of Plant	90,000 TPA	
5.	Name of Applicant	Smt. Renu Bansal M/s JP Minerals Industries Vill/Po- Jaderua & Dist- Morena, and Madhya Pradesh, Pin Code - 476001.	
6.	Toposheet number	G44G3	
7.	<b>Proposed Project Unit</b>	Cement Grinding Unit	
8.	Land Use	Industrial Area of Jaderua under the district of Morena.	
9.	Seismic Zone	Zone II	
10.	Land use	Pvt. Land	
11.	Type of Project (New/Expansion)	New Case	
S. No.	Particulates	Place & Distance in Km	
1.	Village/Town	Lohgarh is about 0.27 km in WSW direction.	
2.	Bus Stand	Maa Vaishno Travels is about 8.47 km in NW direction.	
3.	Nearest City	Morena 7 Km in SE Direction.	
4.	Nearest Railway Station	Sank 3 Km in E Direction.	

5.	Nearest Airport	Gwallior Airport 25 km SE Direction.	
6.	Nearest School/College  G.D. Goenka Public School, Morena is about km in NNE direction.		
7.	Nearest Temple	Hanuman temple is about 3.22km in NE direction.	
8.	Nearest Hospital	Govt. Hospital is about 4.51 km in SE direction.	
9.	Nearest Police Station	Nurabad Police Station is about 4.50 in ESI direction.	
10.	Nearest Fire Station	There is no Nearest Fire Station within 10 km area.	
11.	National Border	There is no National Border within 10 km area.	
12.	International Border	There is no International Border within 10 km area.	
13.	Nearest Pond	Kotwal Reservoir is about 7.09 km in NE direction.	
14.	Approach Road / Highway	NH-44 is 1.7 in E Direction.	
		SH-2 is 8.6 Km in NW Direction.	

#### **Production ( Grinding ): PPC Cement**

60000TPA Raw Material Required: Clinker – 49500 TPA ( 55% ) Gypsum – 4500 TPA ( 5% )

Fly -36000 TPA (40 %)

During presentation, it was observed by the committee that PP has mentioned in the EIA report that the unit is established in Notified IA thus public hearing was not conducted but PP has not submitted the IA Notification which shall be submitted. During presentation, PP submitted that initially it was a red ochre grinding unit purchased by them and they have extablished cement grinding unit without obtaining EC and thus constitutes violation. PP further submitted that this voilationh was done going through a news published in paper that no clearances are requited for initia; three years for establishment of a unit. However, no production is obtained till date and only dismantling of old shed, construction of sheds, their internal retrofication and installation of machinery is carriedout. PM 10 values at project site and all other locations are very high which indicated that the units installed in the IA are not complying with the standards thus committee recommends that this shall be brought in to the notice of SEIAA and SEIAA may direct compitent authority to take necessary steps. After presentation, PP was asked to submit response on following issues:

1. Backup calculation of water requirements as projected figures appears to be on lower side.

- 2. Copy of Jaderua IA Notification.
- 3. Revised estimation of carbon footprint as discussed during presentation and mitigation plan.
- 4. Revised plantation scheme as suggested by committee.
- 5. Revised CER scheme as suggested by committee.
- 6. Details of measures proposed for noise mitigation from all sources.
- 7. Peacock is observed in the nearby area thus it protection plan be submitted as discussed during presentation.
- 8. PM 10 values at project site and all other locations are very high thus reason thereof and mitigation plan be submitted.
- 9. The details of waste generated due to dismantling of old shaed/sheds and its disposal details be submitted.
- 10. Proof of initiation credible action under E (P) Act, 1986.
- 11. Revised damage assessment as the same is not provided in the EIA report with remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation. The Damage assessment shall be quantified wrt volume and amount with backup calculation.
- 12. Cost of project with documentatry evidances (such as CA certificate/other legal documentary evidences) wrt impose penalty as per point no 12 of SOP of MoEF&CC dated 07/07/21.
- 2. <u>Case No 8796/2021 M/s. P.S.Stone, Shri Vinod Sharma S/o Shri Brajnarayan Sharma, Baheriya, Tehsil Isagarh, Dist. Ashoknagar, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.689 ha. (18430 Cum per annum) (Khasra No. 378), Village Lahadpur, Tehsil Isagarh, Dist. Ashoknagar (MP) RQP Swati Namdeo, Bhopal.</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 378), Village - Lahadpur, Tehsil - Isagarh, Dist. Ashoknagar (MP) 1.689 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 532वीं दिनांक 07/12/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 13 / 04 / 23 को परियोजना प्रस्तावक श्री विनोद शर्मा, (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश—देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है के उत्तर—पश्चिम भाग में खनन् कार्य किया जाना परिलक्षित हो रहा है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक ने बिना पर्यावरणीय सम्मति के खनन् कार्य प्रारम्भ कर दिया है। समिति ने पाया कि राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 532वीं दिनांक 07/12/2021 में जब टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी तब उपलब्ध गूगल इमेज अनुसार अक्षांश—देशांस के आधार पर दर्शाये गये स्थल पर कोई खनन् गतिविधि नही पाई गई थी।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनको आवंटित क्षेत्र में उनके द्वारा कोई खनन् कार्य नहीं किया गया है संभवतः माईन प्लान में गलत अक्षांस—देशांस के कारण मेरे को आवंटित क्षेत्र पास में कार्यरत एक अन्य खदान के ऊपर दर्शित हो रहा है जहां पर वर्तमान में खनन् कार्य किया जा रहा है । अतः मुझे एक अवसर दिया जाये ताकि में डी.जी.पी.एस. से सही अक्षांस—देशांस निकाल कर समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं । समिति ने अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मानते हुए आवंटित खनन् क्षेत्र के अक्षांस—देशांस डी.जी.पी.एस. से प्राप्त किये जाये तथा परियोजना प्रस्तावक डी. जी.पी.एस. से प्राप्त अक्षांस—देशांस को संबंधित खनन् अधिकारी से प्रमाणीकृत करवाकर 15 दिवस में प्रस्तुत करे ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सके।

3. प्रकरण क्रमांक 8962/2022 — श्री रिब यादव, ग्राम हापाखेड़ी तहसील आरोन जिला गुना (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 374 रकबा 3.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन—24,696 मी.<sup>3</sup>, ग्राम लहदपुर तहसील ईशगढ़ जिला अशोकनगर के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 374 रकबा 3.00 हेक्टेयर, ग्राम लहदपुर तहसील ईशगढ़ जिला अशोकनगर म.प्र. पर स्थित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 550वीं दिनांक 16 / 02 / 2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 13/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री रवि यादव, (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश—देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है के उत्तर—पश्चिम भाग में खनन् कार्य किया जाना परिलक्षित हो रहा है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक ने बिना पर्यावरणीय सम्मति के खनन् कार्य प्रारम्भ कर दिया है। समिति ने पाया कि राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 550वीं दिनांक 16/02/2022 में जब टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी तब उपलब्ध गूगल इमेज अनुसार अक्षांश—देशांस के आधार पर दर्शाये गये स्थल पर कोई खनन् गतिविधि नहीं पाई गई थी ।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनको आवंटित क्षेत्र में उनके द्वारा कोई खनन् कार्य नहीं किया गया है संभवतः माईन प्लान में गलत अक्षांस—देशांस के कारण मेरे को आवंटित क्षेत्र पास में कार्यरत एक अन्य खदान के ऊपर दर्शित हो रहा है जहां पर वर्तमान में खनन् कार्य किया जा रहा है । अतः मुझे एक अवसर दिया जाये ताकि में डी.जी.पी.एस. से सही अक्षांस—देशांस निकाल कर समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं । समिति ने अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मानते हुए आवंटित खनन् क्षेत्र के अक्षांस—देशांस डी.जी.पी.एस. से प्राप्त किये जाये तथा परियोजना प्रस्तावक डी. जी.पी.एस. से प्राप्त अक्षांस—देशांस को संबंधित खनन् अधिकारी से प्रमाणीकृत करवाकर 15 दिवस में प्रस्तुत करे ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सके।

4. प्रकरण क्रमांक 8994/2022 - श्री कान्हा गुप्ता, सेवा नगर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 386, रकबा 02.689 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन-25,878 मी.<sup>3</sup>, ग्राम लहदपुरा, तहसील ईशगढ़ जिला-अशोकनगर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 386, रकबा 2.689 हेक्टेयर, ग्राम लहदपुरा, तहसील ईशगढ़ जिला—अशोकनगर (म.प्र.) पर स्थित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 554वीं दिनांक 23/02/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 13/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री कान्हा गुप्ता, (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश—देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है जिसके दक्षिण भाग से होकर एक मौसमी नाला निकल रहा है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इसके संरक्षण हेतु 50 मीटर का सेट बेक प्रस्तुतीकरण में प्रस्तावित किया गया है तथा सेट बेक छोड़ने के पश्चात् ——— क्षेत्र खनन् हेतु उपलब्ध होगा जो स्वीकृत उत्पादन क्षमता 24,696 घन मीटर प्रति वर्ष हेतु पर्याप्त है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा रोजगार, धूल मिट्टी न उड़े इसके लिये जल छिड़काव की व्यवस्था, वृक्षारोपण, सडक की मरम्मत,

इत्यादि बिन्दुओं पर सुझाव / आपित्तयां प्रस्तुत की गई जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इनको ई.एम.पी. / सीईआर मे समुचित बजट प्रावधान के साथ शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज न. 57 के सरल क्रमांक 13 पर दर्ज है चूिक नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के अक्षांश—देशांस दर्ज नहीं है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश—देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के पूर्व दिशा में 120 मीटर पर एक जल रोकने की संरचना स्थित है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान एवं इसके आसपास की अन्य खदानें सरपंच द्वारा इस मंशा से स्वीकृत की गई है कि इनके समीप स्थित जलाशय के जल संग्रहण क्षेत्र में वृद्धि हो जिससे आसपास के किसानों 02 फसलों के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सके । अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त संदर्भ में तकनीकी रूप से सक्षम हाइड्रोजियोलॉजिस्ट (शासकीय विभाग जैसे : डब्लूआरडी/जनपद पंचायत/सीजीडब्लूओ से अधिकृत) की रिपोर्ट (क्षेत्र का रिचार्ज रेट, टोटल वाटर होल्डिंग केपेसिटी एवं इसका भविष्य में कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन इत्यादि) प्राप्त कर प्रस्तुत करें ।

5. Case No 9800/2023 Mr. Pradeep Kumar Hedau, Executive Engineer Div.3, Madhya Pradesh Housing & Infrastructure Development Board Bhopal, Amrapali Arcade, Bagmugaliya, Bhopal (MP)-462043, Prior Environment Clearance Re-densification of Collectorate Complex and Professor's colony [Total Built Up Area 1,41,545.00 Sq.mt. (1,01,609.00 Sq.mt. Site 1 + 39,936.00 Sq.mt. Site 2] at Khasra No. 106, 107, 108, 109, 1531/108, 1533/108, 1572/109, 1968/110,110, 9, 1382/1, 1382/2, 1382/4, 1383/1, 1383/3, 1383/4, 1384, 1385, 1386/1, 1386/3, 1387/2, 1424/2, 1425/2, 1884/1424, 1885/1424, 1873/1383/1, 1873/1383/3, 1977/1383/2 Tehsil-Huzur, District-Bhopal, (MP)

This is a case of Prior Environment Clearance Re-densification of Collectorate Complex and Professor's colony [Total Built Up Area 1,41,545.00 Sq.mt. (1,01,609.00 Sq.mt. Site 1 + 39,936.00 Sq.mt. Site 2] at Khasra No. 106, 107, 108, 109, 1531/108, 1533/108, 1572/109, 1968/110,110, 9, 1382/1, 1382/2, 1382/4, 1383/1, 1383/3, 1383/4, 1384, 1385, 1386/1, 1386/3, 1387/2, 1424/2, 1425/2, 1884/1424, 1885/1424, 1873/1383/1, 1873/1383/3, 1977/1383/2 Tehsil-Huzur, District-Bhopal, (MP)

The case was presented by PP Shri Pradeep Hadao, EE, Madhya Pradesh Housing & Infrastructure Development Board Bhopal and there consultant Shri Mujammil Khan, M/s. Insitu Enviro Care, Bhopal alongwith Mr. Avneesh Saxena, Project Architect. During presentation PP submitted that it's a case of re-densification of Collectorate Complex and

Professor's colony developed by Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development Board (MPHIDB). During presentation, following detail;s were submitted by PP:-

Name of the Project : "Re-densification Of Collectorate Complex and Professor's Colony"

(Site 1 & Site 2)

Total Plot Area : 2,35,420.00 Sq.Mt. (1,65,060.00 Site 1 + 70,360.00 Site 2)

Total Planning Area : 87,194.00 Sq.Mt. (63834.00 Site 1 + 23360.00 Site 2)

Proposed Built-Up Area : 1,41,545.00 Sq.mt. (1,01,609.00 Sq.mt. Site-1 + 39,936.00 Sq.mt. Site-2)

Expected Population : 5241 Nos.

Water requirement : 346.04 KLD (226.44 KLD + 119.6 KLD)

Source of Water : Municipal Water Supply

Power requirement : 17495.6 KVA (2951.29 KVA + 1544.31 KVA.)

Source of Power : MPSEB

DG Set : 800 KVA. (2 X 400 KVA for Site 1)

Project Cost : 565.37 Cr.

Solar Panel : 1277.85 KW (982.07+295.78 KW)

Solid Waste Generation : 2.31 TPD (1.273 TPD + 1.042 TPD)

OWC : 2 TPD ( 2 X 1000 Kg Site 1 and site 2)

E-Waste : 500 KG/annum approx.

Waste Water Generation : 346.04 KLD (226.44 KLD + 119.6 KLD)

Waste Water Treatment : 4 MLD CSTP (BMC) for Site 1 (Professor's Colony)

Waste Water Treatment : 5 MLD CSTP (BMC) for Site 2 (Kohe-fiza)

Parking : 1502 ECS (1163 + 339)

Height of Building : 37 M (Campus 2)

Railway Station : Bhopal Railway Station – 2.37 Km (NE)

Air Port : Rajabhoj Airport Bhopal– 6.75 Km (NW)

Annual Average Rainfall : 1126.7 mm

#### **Area Statement**

Details	Site1 + Site 2	Site 1 Area Sq.mt.	Site 2 Sq.mt.
Total Area Sq.mt.	2,35,420.00	1,65,060.00	70,360.00
Area under Road	34450.00	34450.00	0.00
Area after road widening	1,99s,510.00		

Net Planning Area (Excluding CLPs)	87,194.00	63834.00	23360.00
Total Built-up Area	1,41,545.00	1,01,609.00	39,936.00

- ✓ This is a Re-densification of Collectorate complex and professor's colony, Bhopal. Total Built Up Area 1,41,545.00 Sq.mt. (1,01,609.00 Sq.mt. Site 1 + 39,936.00 Sq.mt. Site 2)
- ✓ In our project we have provided total 73318 Sq.mt. (66311 Sq.mt + 7007 Sq.mt.) as open park/greenbelt Area and we have proposed approx. 4000 trees of native species on site and avaible space.
- ✓ There are total 968 existing tree are on site area Site 1, out of this 317 tree to be cut and 80 trees to be transplant and 61 trees on Site 2. In this site 16 tree out of 61 to be cut. We will obtain permission before cutting the trees.
- ✓ Waste-water generation from the project will be around 346.04 KLD (226.44 KLD + 119.6 KLD) and will be disposed off into a nearby municipal sewer line, which will be treated in the CSTP of the BMC, which has a capacity of 4 MLD in site 1 (Near Professor's Colony) and 5 MLD Site 2 (Near Kohefiza).

During presentation it was observed by the committee that the project is divided in the two sites located faraway from each other and PP as per SEIAA OM no 1216 dated 20/06/19, B-2, has not furnished the T&CP approved lay out. Thus PP was asked to furnish the same. Total Excvated material 18595 Cum. out this 3719 Top soil will be used for landspcaing and 14876 cum. remaining excavted materials resued in backfilling and leveling at site but the details of area available for backfilling are not mentioned. Simillarly, the top soil shall be used for plantation. Dual plumbing is proposed to be installed at the project site for flushing but how the treated water from CETP will be bring back to the project site shall needs to be furnished. Committee also observed that some details are missing in online form submitted by PP (such as Point No. 9.2 to 9.6 & 12, 12.7) which shall be revised and submitted. After presentation, PP was asked to submit response on following issues raised during presentation:

- ✓ The project is divided in the two sites different sites located faraway from each other and PP as per SEIAA OM no 1216 dated 20/06/19, B-2, has not furnished the T&CP approval. Thus PP was asked to furnish the copy of T&CP approved lay out.
- ✓ Credible proof showing existing land use of the proposed sites as per Govt. Norms.
- ✓ Total Excvated material 18595 out this 3719 Cum., top soil will be used for landspeaing and remaining 14876 cum. excavted materials resued in backfilling and leveling at site but the details of area available for backfilling are not provided hence

- the same shall be furnished. Simillarly, PP's commitment that the top soil shall be used only for plantation only.
- ✓ Dual plumbing is proposed to be installed at the project site for flushing but how the treated water from CETP will be brought back to the project site shall needs to be furnished with all details.
- ✓ Details of existing water recharge potential and how it will be compensated with the proposed expansion shall be submitted.
- Committee also observed that some details are missing in online form submitted by PP (such as Point No. 9.2 to 9.6 & 12, 12.7) hence necessary corrections shall be made and submitted.
- ✓ Demolition Waste proposed to be disposed through Backfilling and leveling but the details of area available marked for backfilling and leveling are not mentioned. Thus the same shall be provided.
- ✓ PP shall also examine whether the Bhoj Wetland Rules are applicable on this project or not and shall obtained permission form the compitent authority.
- Total 968 existing tree are on site area Site 1, out of this 317 tree proposed to be uprooted and 80 trees to be transplant and 61 trees on Site 2 out of which 16 tree are proposed to be uprooted with the permission of compitent authority. The inventory presented by PP does not contain the details upto species level of all the trees proposed to be either uprooted or transplanted. Thus PP was asked to submit comprehensive inventory of all the trees with names upto species level.
- ✓ The tree canopy area shall be calculate at both the sites with the help of satellite/drone imagenary and submitted. Minimum 20% of the tree canopy area shall be ratined.
- ✓ 400 plants are proposed to be planted for this project thus details of available area and details of spacing proposed between each plants shall be calculated and submitted with estimation of its tree canopy cover after 10 years.
- ✓ 80 trees are proposed for transplantation alongwith Neem. Committee desires that PP shall provide the available literature which indicates that the transplantation of Neem is successful.
- Committee also suggested that transplantation proposal shall be re-vealuated as the success rate is very less and also not cost effective. In liew, PP can explore the 20 times commensurate plantation on other locations within the city and submit a proposal for this.
- ✓ Estimation of carbon footprint as discussed during presentation and mitigation plan shall be submitted. Renewal Energy Department shall also be consulted to harness maximum solar energy potential from this project and details shall be submitted.
- ✓ Proposed Green Building Code for this project shall be submitted.

6. <u>Case No 9586/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Astot Sand Quarry in an area of 4.80 ha. (13,110 cum per annum) (Khasra No. 587, 646, 654), Village-Astot, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP).</u>

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 587, 646, 654), Village-Astot, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP) 4.80 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 08 दिनांक 02/01/2023 (लीज हंस्तातरित) अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रकरण पूर्व में सेक की 622वी बैठक दिनांक 21/02/23 में प्रस्तुत हुआ था जिसमें प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश—देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश—देशांश से नहीं होता तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को—आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन् क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को—आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में दिख रहा हैं / आवंटित खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलना नहीं होता। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश—देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश—देशांश त्रुटिपूर्ण है ।

समिति ने पाया कि दिनांक 21/02/23 को दितया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को—आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को—आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंदित स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू—भक्त खनन् का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता । अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित खिनज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंदित खनन् क्षेत्र के सही को—आर्डिनेट व जानकारी प्रस्तुत करें तािक प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ—साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये । सिमिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये तािक भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये ।

प्रकरण सेक की 636वीं बैठक दिनांक 13/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए ।

समिति को अवगत कराया कि परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया ने ई—मेल के माध्यम से सूचित किया है कि दितया जिले की डी.एस.आर. व संबंधित प्रकरणों में कुछ त्रुटियाँ है जिस कारण वे आज की मीटिंग में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होने में असमर्थ है । उन्होने ये भी उल्लेखित किया है कि डी.एस.आर. की त्रुटियाँ सुधार कर आगामी बैठक तक प्रस्तुत कर देगे अतः उनको आगामी बैठक में उपस्थित होने की अनुमित प्रदान करे । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि यदि परियोजना प्रस्तावक जानकारी प्रस्तुत कर देते है तो आगामी सप्ताह में इनके प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किये जाये।

7. Case No 9579/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP) - 477660, Prior Environment Clearance for Kanjoli-2 Sand Quarry in an area of 4.90 ha. (5,130 cum per annum) (Khasra No. 01), Village-Kanjoli-2, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 01), Village-Kanjoli-2, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP) 4.90 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र कमांक 31 दिनांक 02/01/2023 (लीज हंस्तातरित) अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश—देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश—देशांश से नहीं होता तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को—आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन् क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को—आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में दिख रहा हैं / आवंटित खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलना नहीं होता। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश—देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश—देशांश त्रुटिपूर्ण है।

समिति ने पाया कि दिनांक 21/02/23 को दितया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को—आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को—आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंटित स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू—भक्त खनन् का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता । अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित खनिज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंटित खनन् क्षेत्र के सही को—आर्डिनेट व जानकारी

प्रस्तुत करें तािक प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ—साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये । सिमिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये तािक भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये ।

प्रकरण सेक की 636वीं बैठक दिनांक 13/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति को अवगत कराया कि परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया ने ई—मेल के माध्यम से सूचित किया है कि दितया जिले की डी.एस.आर. व संबंधित प्रकरणों में कुछ त्रुटियाँ है जिस कारण वे आज की मीटिंग में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होने में असमर्थ है । उन्होने ये भी उल्लेखित किया है कि डी.एस.आर. की त्रुटियाँ सुधार कर आगामी बैठक तक प्रस्तुत कर देगे अतः उनको आगामी बैठक में उपस्थित होने की अनुमित प्रदान करे । सिमिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि यदि परियोजना प्रस्तावक जानकारी प्रस्तुत कर देते है तो आगामी सप्ताह में इनके प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किये जाये।

8. <u>Case No 9585/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Ajeetpura Sand Quarry in an area of 3.00 ha. (7920 cum per annum) (Khasra No. 01), Village-Ajeetpura, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP)</u>

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 01), Village - Ajeetpura, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP) 3.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र कमांक 24 दिनांक 02/01/2023 (खदान हस्तांतरित) अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश—देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश—देशांश से नहीं होता तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को—आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन् क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को—आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में दिख रहा हैं / आवंटित खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलना नहीं होता। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश—देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश—देशांश त्रुटिपूर्ण है।

समिति ने पाया कि दिनांक 21/02/23 को दितया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को-आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को-आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंटित स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू-भरू खनन् का / खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता । अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित खनिज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंटित खनन् क्षेत्र के सही को-आर्डिनेट व जानकारी प्रस्तुत करें ताकि प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ-साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये । समिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये । प्रकरण सेक की 636वीं बैठक दिनांक 13/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति को अवगत कराया कि परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया ने ई-मेल के माध्यम से सुचित किया है कि दतिया जिले की डी.एस.आर. व संबंधित प्रकरणों में कुछ त्रुटियाँ है जिस कारण वे आज की मीटिंग में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होने में असमर्थ है । उन्होंने ये भी उल्लेखित किया है कि डी.एस.आर. की त्रृटियाँ सुधार कर आगामी बैठक तक प्रस्तुत कर देगे अतः उनको आगामी बैठक में उपस्थित होने की अनुमित प्रदान करे । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि यदि परियोजना

9. Case No 9591/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Mustara Sand Quarry in an area of 4.740 ha. (9,900 cum per annum) (Khasra No. 503, 596), Village-Mustara, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP)

प्रस्तावक जानकारी प्रस्तुत कर देते है तो आगामी सप्ताह में इनके प्रकरण सुनवाई हेतू नियत किये

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 503, 596), Village-Mustara, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP) 4.740 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र कमांक 09 दिनांक 02/01/2023 (लीज हस्तांतरित) अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

जाये।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश—देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश—देशांश से नहीं होता तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को—आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन् क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को—आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में दिख रहा हैं / आवंटित खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलना नहीं होता। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश—देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश—देशांश त्रुटिपूर्ण है।

समिति ने पाया कि दिनांक 21/02/23 को दितया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को—आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को—आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंदित स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू—भक्त खनन् का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता । अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित खिनज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंदित खनन् क्षेत्र के सही को—आर्डिनेट व जानकारी प्रस्तुत करें तािक प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ—साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये । सिमिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये तािक भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये ।

प्रकरण सेक की 636वीं बैठक दिनांक 13/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति को अवगत कराया कि परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया ने ई—मेल के माध्यम से सूचित किया है कि दितया जिले की डी.एस.आर. व संबंधित प्रकरणों में कुछ त्रुटियाँ है जिस कारण वे आज की मीटिंग में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होने में असमर्थ है । उन्होने ये भी उल्लेखित किया है कि डी.एस.आर. की त्रुटियाँ सुधार कर आगामी बैठक तक प्रस्तुत कर देगे अतः उनको आगामी बैठक में उपस्थित होने की अनुमित प्रदान करे । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि यदि परियोजना प्रस्तावक जानकारी प्रस्तुत कर देते है तो आगामी सप्ताह में इनके प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किये जाये।

10. Case No 9593/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Basaimalak-2 Sand Quarry in an area of 4.980 ha. (11,970 cum per annum) (Khasra No. 292, 295, 296), Village-Basaimalak-2, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP).

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 292, 295, 296), Village-Basaimalak-2, Tehsil-

Seondha, District-Datia (MP) 4.980 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र कमांक 26 दिनांक 02/01/2023 (लीज हस्तांतरित) अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश—देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश—देशांश से नहीं होता तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को—आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन् क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को—आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में दिख रहा हैं / आवंटित खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलना नहीं होता। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश—देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश—देशांश त्रृटिपूर्ण है।

समिति ने पाया कि दिनांक 21/02/23 को दितया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को—आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को—आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंदित स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू—भक्त खनन् का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता । अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित खनिज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंदित खनन् क्षेत्र के सही को—आर्डिनेट व जानकारी प्रस्तुत करें तािक प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ—साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये । सिमिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये तािक भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये ।

प्रकरण सेक की 636वीं बैठक दिनांक 13/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति को अवगत कराया कि परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया ने ई—मेल के माध्यम से सूचित किया है कि दितया जिले की डी.एस.आर. व संबंधित प्रकरणों में कुछ त्रुटियाँ है जिस कारण वे आज की मीटिंग में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होने में असमर्थ है । उन्होने ये भी उल्लेखित किया है कि डी.एस.आर. की त्रुटियाँ सुधार कर आगामी बैठक तक प्रस्तुत कर देगे अतः उनको आगामी बैठक में उपस्थित होने की अनुमित प्रदान करे । सिमिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि यदि परियोजना प्रस्तावक जानकारी प्रस्तुत कर देते है तो आगामी सप्ताह में इनके प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किये जाये।

11. Case No 9594/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Madikheda Sand Quarry in an area of 4.900 ha. (23,393 cum per annum) (Khasra No. - 01), Village-Basaimalak-2, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 01), Village-Basaimalak-2, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP) 4.900 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र कमांक 28 दिनांक 02/01/2023 (लीज हस्तांतरित) अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश—देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश—देशांश से नहीं होता तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को—आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन् क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को—आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में दिख रहा हैं / आवंटित खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलना नहीं होता। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश—देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश—देशांश त्रुटिपूर्ण है।

समिति ने पाया कि दिनांक 21/02/23 को दितया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को—आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को—आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंदित स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू—भक्त खनन् का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता । अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित खिनज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंदित खनन् क्षेत्र के सही को—आर्डिनेट व जानकारी प्रस्तुत करें तािक प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ—साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये । सिमिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये तािक भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये ।

प्रकरण सेक की 636वीं बैठक दिनांक 13 / 04 / 23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए ।

समिति को अवगत कराया कि परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया ने ई—मेल के माध्यम से सूचित किया है कि दितया जिले की डी.एस.आर. व संबंधित प्रकरणों में कुछ त्रुटियाँ है जिस कारण वे आज की मीटिंग में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होने में असमर्थ है । उन्होने ये भी उल्लेखित किया है कि डी.एस.आर. की त्रुटियाँ सुधार कर आगामी बैठक तक प्रस्तुत कर देगे अतः उनको आगामी बैठक में उपस्थित होने की अनुमित प्रदान करे । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि यदि परियोजना प्रस्तावक जानकारी प्रस्तुत कर देते है तो आगामी सप्ताह में इनके प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किये जाये।

# 12. <u>Case No 9595/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Marseni Khurd Sand Quarry in an area of 4.800 ha. (14,962.5 cum per annum) (Khasra No. 01), Village-Marseni, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP)</u>

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 01), Village-Marseni, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP) 4.800 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र कमांक 27 दिनांक 02/01/2023 (लीज हस्तांतरित) अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश—देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश—देशांश से नहीं होता तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को—आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन् क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को—आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में दिख रहा हैं / आवंटित खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलना नहीं होता। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश—देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश—देशांश त्रुटिपूर्ण है।

समिति ने पाया कि दिनांक 21/02/23 को दितया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को—आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को—आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंटित स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू—भक्त खनन् का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता । अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में

संबंधित खनिज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंटित खनन् क्षेत्र के सही को—आर्डिनेट व जानकारी प्रस्तुत करें तािक प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ—साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये । सिमिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये तािक भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये ।

प्रकरण सेक की 636वीं बैठक दिनांक 13/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति को अवगत कराया कि परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया ने ई—मेल के माध्यम से सूचित किया है कि दितया जिले की डी.एस.आर. व संबंधित प्रकरणों में कुछ त्रुटियाँ है जिस कारण वे आज की मीटिंग में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होने में असमर्थ है । उन्होने ये भी उल्लेखित किया है कि डी.एस.आर. की त्रुटियाँ सुधार कर आगामी बैठक तक प्रस्तुत कर देगे अतः उनको आगामी बैठक में उपस्थित होने की अनुमित प्रदान करे । सिमिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि यदि परियोजना प्रस्तावक जानकारी प्रस्तुत कर देते है तो आगामी सप्ताह में इनके प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किये जाये।

# 13. Case No 9596/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Saletara Sand Quarry in an area of 4.840 ha. (14,940 cum per annum) (Khasra No. 814), Village-Saletara, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. - 814), Village-Saletara, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP) 4.840 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र कमांक 10 दिनांक 02/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश—देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश—देशांश से नहीं होता तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को—आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन् क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को—आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में दिख रहा हैं / आवंटित खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलना नहीं होता। इस संदर्भ में परियोजना

प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश—देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश—देशांश त्रुटिपूर्ण है ।

समिति ने पाया कि दिनांक 21/02/23 को दितया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को—आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को—आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंदित स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू—भरू खनन् का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता । अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित खिनज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंदित खनन् क्षेत्र के सही को—आर्डिनेट व जानकारी प्रस्तुत करें तािक प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ—साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये । सिमिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये तािक भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये ।

प्रकरण सेक की 636वीं बैठक दिनांक 13/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु सिमिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । सिमिति को अवगत कराया कि परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया ने ई—मेल के माध्यम से सूचित किया है कि दितया जिले की डी.एस.आर. व संबंधित प्रकरणों में कुछ त्रुटियाँ है जिस कारण वे आज की मीटिंग में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होने में असमर्थ है । उन्होने ये भी उल्लेखित किया है कि डी.एस.आर. की त्रुटियाँ सुधार कर आगामी बैठक तक प्रस्तुत कर देगे अतः उनको आगामी बैठक में उपस्थित होने की अनुमित प्रदान करे । सिमिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि यदि परियोजना प्रस्तावक जानकारी प्रस्तुत कर देते है तो आगामी सप्ताह में इनके प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किये जाये।

# 14. Case No 9597/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Kutauli Sand Quarry in an area of 4.600 ha. (27,740 cum per annum) (Khasra No. 1/1), Village-Kutauli, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1/1), Village-Kutauli, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP) 4.600 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 22 दिनांक 02/01/2023 अनुसार प्रस्तावित

खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत / संचालित होने की जानकारी नही दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश—देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश—देशांश से नहीं होता तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को—आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन् क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को—आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में दिख रहा हैं / आवंटित खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलना नहीं होता। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश—देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश—देशांश त्रुटिपूर्ण है।

समिति ने पाया कि दिनांक 21/02/23 को दितया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को—आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को—आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंदित स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू—भक्त खनन् का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता । अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित खिनज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंदित खनन् क्षेत्र के सही को—आर्डिनेट व जानकारी प्रस्तुत करें तािक प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ—साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये । सिमिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये तािक भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये ।

प्रकरण सेक की 636वीं बैठक दिनांक 13/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति को अवगत कराया कि परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया ने ई—मेल के माध्यम से सूचित किया है कि दितया जिले की डी.एस.आर. व संबंधित प्रकरणों में कुछ त्रुटियाँ है जिस कारण वे आज की मीटिंग में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होने में असमर्थ है । उन्होने ये भी उल्लेखित किया है कि डी.एस.आर. की त्रुटियाँ सुधार कर आगामी बैठक तक प्रस्तुत कर देगे अतः उनको आगामी बैठक में उपस्थित होने की अनुमित प्रदान करे । सिमिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि यदि परियोजना प्रस्तावक जानकारी प्रस्तुत कर देते है तो आगामी सप्ताह में इनके प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किये जाये।

15. Case No 9598/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Kanjoli-1 Sand Quarry in an area of 3.460 ha. (3,990 cum per annum) (Khasra No. 138), Village-Kanjoli-1, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. - 138), Village-Kanjoli-1, Tehsil-Seondha,

District-Datia (MP) 3.460 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र कमांक 16 दिनांक 02/01/2023 (लीज हंस्तातरित) अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश—देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश—देशांश से नहीं होता तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को—आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन् क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को—आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में दिख रहा हैं / आवंटित खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलना नहीं होता। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश—देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश—देशांश त्रुटिपूर्ण है।

समिति ने पाया कि दिनांक 21/02/23 को दितया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को—आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को—आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंदित स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू—भक्त खनन् का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता । अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित खिनज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंदित खनन् क्षेत्र के सही को—आर्डिनेट व जानकारी प्रस्तुत करें तािक प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ—साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये । सिमिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये तािक भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये ।

प्रकरण सेक की 636वीं बैठक दिनांक 13/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति को अवगत कराया कि परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया ने ई—मेल के माध्यम से सूचित किया है कि दितया जिले की डी.एस.आर. व संबंधित प्रकरणों में कुछ त्रुटियाँ है जिस कारण वे आज की मीटिंग में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होने में असमर्थ है । उन्होने ये भी उल्लेखित किया है कि डी.एस.आर. की त्रुटियाँ सुधार कर आगामी बैठक तक प्रस्तुत कर देगे अतः उनको आगामी बैठक में उपस्थित होने की अनुमित प्रदान करे । सिमिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि यदि परियोजना प्रस्तावक जानकारी प्रस्तुत कर देते है तो आगामी सप्ताह में इनके प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किये जाये।

16. Case No 9600/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Ruhera Sand Quarry in an area of 4.600 ha. (9,975 cum per annum) (Khasra No. 765, 2222), Village-Ruhera, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 765, 2222), Village-Ruhera, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP) 4.600 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 29 दिनांक 02/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश—देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश—देशांश से नहीं होता तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को—आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन् क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को—आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में दिख रहा हैं / आवंटित खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलना नहीं होता। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश—देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश—देशांश त्रुटिपूर्ण है।

समिति ने पाया कि दिनांक 21/02/23 को दितया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को—आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को—आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंटित स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू—भरू खनन् का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता । अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित खनिज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंटित खनन् क्षेत्र के सही को—आर्डिनेट व जानकारी प्रस्तुत करें तािक प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ—साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये । समिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये तािक भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये । प्रकरण सेक की 636वीं बैठक दिनांक 13/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति को अवगत कराया कि परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया ने ई—मेल के माध्यम से

सूचित किया है कि दितया जिले की डी.एस.आर. व संबंधित प्रकरणों में कुछ त्रुटियाँ है जिस कारण वे आज की मीटिंग में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होने में असमर्थ है । उन्होने ये भी उल्लेखित किया है कि डी.एस.आर. की त्रुटियाँ सुधार कर आगामी बैठक तक प्रस्तुत कर देगे अतः उनको आगामी बैठक में उपस्थित होने की अनुमित प्रदान करे । सिमित ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि यदि परियोजना प्रस्तावक जानकारी प्रस्तुत कर देते है तो आगामी सप्ताह में इनके प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किये जाये।

17. Case No 9602/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Dhamna Sand Quarry in an area of 4.60 ha. (9,900 cum per annum) (Khasra No. 935), Village-Dhamna, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 935), Village-Dhamna, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP) 4.900 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र कमांक 29 दिनांक 02/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश—देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश—देशांश से नहीं होता तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को—आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन् क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को—आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में दिख रहा हैं / आवंटित खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलना नहीं होता। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश—देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश—देशांश त्रुटिपूर्ण है।

समिति ने पाया कि दिनांक 21/02/23 को दितया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को—आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को—आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंटित स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू—भक्त खनन् का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता । अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित खनिज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंटित खनन् क्षेत्र के सही को—आर्डिनेट व जानकारी प्रस्तुत करें तािक प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ—साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये । सिमिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण

रिपार्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये तािक भविष्य में इसकी पुनरावृित्त न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये । प्रकरण सेक की 636वीं बैठक दिनांक 13/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति को अवगत कराया कि परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया ने ई—मेल के माध्यम से सूचित किया है कि दितया जिले की डी.एस.आर. व संबंधित प्रकरणों में कुछ त्रुटियाँ है जिस कारण वे आज की मीटिंग में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होने में असमर्थ है । उन्होने ये भी उल्लेखित किया है कि डी.एस.आर. की त्रुटियाँ सुधार कर आगामी बैठक तक प्रस्तुत कर देगे अतः उनको आगामी बैठक में उपस्थित होने की अनुमित प्रदान करे । सिमिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि यदि परियोजना प्रस्तावक जानकारी प्रस्तुत कर देते है तो आगामी सप्ताह में इनके प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किये जाये।

18. Case No 9631/2023 Shri Sunil Singh Bhadoria S/o Shri Krishnapal Singh Bhadoria, R/o E-46, Balwant Nagar, Thatipur, District-Gwalior (MP)-477660, Prior Environment Clearance for Ajeetpura-2 Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (17,955 cum per annum) (Khasra No. 514), Village-Ajeetpura-2, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP).

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 514), Village-Ajeetpura-2, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP). 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

दिनांक 21/02/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र सिंह गहलोत और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार (ऑनलाईन) एवं श्री दीपक कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र कमांक 23 दिनांक 02/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के साथ प्रस्तुत अक्षांश—देशांश का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश—देशांश से नहीं होता तथा कई प्रकरणों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इतने कम को—आर्डिनेट दिए गए हैं, जिससे आवंटित खनन् क्षेत्र की वास्तविक आकृति ही नहीं बनती/एक को—आर्डिनेट नदी क्षेत्र से अलग कृषि भूमि में दिख रहा हैं / आवंटित खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल का मिलना नहीं होता। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत अक्षांश—देशांश सही है तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश—देशांश त्रुटिपूर्ण है।

समिति ने पाया कि दिनांक 21/02/23 को दितया जिले के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के सभी प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत को—आर्डिनेट का मिलान अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए को—आर्डिनेट से नहीं होता है तथा कुछ प्रकरणों में यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि आवंदित स्थल रिवर सेंड माईनिंग का है अथवा खोदू—भक्त खनन् का/खसरे नम्बर का भी मिलान नहीं होता । अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्त कथन / स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संबंधित खिनज अधिकारी डी.जी.पी.एस. सर्वे कर आवंदित खनन् क्षेत्र के सही को—आर्डिनेट व जानकारी प्रस्तुत करें तािक प्रकरणों का समुचित निराकरण किया जा सके एवं साथ—साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सुधार कर प्रस्तुत किया जाये । सिमिति की यह भी अनुशंसा है कि यदि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही उपरोक्तानुसार त्रुटि है तो यह जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष के संज्ञान में लाई जाये तािक भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाते समय सम्पूर्ण सावधानी बरती जाये ।

प्रकरण सेक की 636वीं बैठक दिनांक 13/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति को अवगत कराया कि परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया ने ई—मेल के माध्यम से सूचित किया है कि दितया जिले की डी.एस.आर. व संबंधित प्रकरणों में कुछ त्रुटियाँ है जिस कारण वे आज की मीटिंग में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होने में असमर्थ है । उन्होने ये भी उल्लेखित किया है कि डी.एस.आर. की त्रुटियाँ सुधार कर आगामी बैठक तक प्रस्तुत कर देगे अतः उनको आगामी बैठक में उपस्थित होने की अनुमित प्रदान करे । सिमिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि यदि परियोजना प्रस्तावक जानकारी प्रस्तुत कर देते है तो आगामी सप्ताह में इनके प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किये जाये।

19. Case No 9742/2023 M/s National Energy Trading and Services Limited, Director, Shri Vinod Kumar Godavarthi, R/o Plot No. 7, Bindu Sadan, 401, Sai Chandra Residency, Hyderabad, Rangareddi, TG-500089 Prior Environment Clearance for Ratamati Sand Mine in an area of 2.550 ha. (21600 Cum per annum) (Khasra No. 1), Village-Ratamati, Tehsil-Bhainsdehi, District-Betul (MP)

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1), Village-Ratamati, Tehsil-Bhainsdehi, District-Betul (MP) 2.550 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

दिनांक 14/03/23 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 241 दिनांक 08/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, इस प्रकार कुल रकबा 2.550 हे. होता है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान ताप्ती नदी में स्थित है तथा गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र के उत्तर—पूर्व दिशा में लगभग 90 मीटर पर वनक्षेत्र परिलक्षित हो रहा है जबिक कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी एकल प्रमाण—पत्र कमांक 241 दिनांक 08/02/2023 के अनुसार कार्यालय वनमंडलाधिकारी (सामान्य) बेतूल के प्रतिवेदन कमांक 3319 दिनांक 13/04/16 अनुसार स्वीकृत रेत खदान वन सीमा से 250 मीटर के अंदर नहीं है। अतः संबंधित वनमंडलाधिकारी से इसकी पुष्टि कराई जाना उचित होगा।

आज दिनांक 13/04/23 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा कार्यालय वनमंडलाधिकारी, पश्चिम बैतूल (सा) वन मंडल बेतूल से जानकारी चाही गई थी जिनके प्रतिवेदन क्रमांक 762 दिनांक 16/03/23 अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र के 250 मीटर की परिधि में कोई वन नहीं है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान तवा नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन् योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—47 के सरल क्रमांक 07 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—21,600 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 21,600 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है, जो 60 प्रशिशत माईनेवल मिनरल पोटेंशियल के समान है।

ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र का उत्तर पश्चिमी किनारा आंशिक रूप से जलमग्न है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जलमग्न होने के कारण आवंटित खनन् क्षेत्र में सेटवेक छोड़ा गया है तथा जिस कारण लगभग 1.63 हे. का क्षेत्र खनन् हेतु उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आंवटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही मांइनिंग की जायेगी तथा स्वीकृत मात्रा मात्र 70200 घन मीटर है जो आवंटित क्षेत्र में उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन उत्तर—पूर्वी दिशा से किया जायेगा । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयाविध मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा सिमित का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख—भाल कौन करेगा । अतएव सिमित की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ—साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा करेंगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षोरोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 05 वर्षो तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से

समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 21,600 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 0.80 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 01.43 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
- 4. परियोजना प्रस्तावक स्वंय निम्नानुसार 1600 वृक्षो का वृक्षारोपण कार्य :—

Phase	Location	Name of Tree	No. of Plants to be Planted
30.06.2023	For Village distribution specially to the famers who,s land are near to the river bank.		

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :—

Issues	Cost in Rs
two wheel chair, two complete bed and one Warmer machine to be provided to nearest PHCs	1.00 lakhs

20. <u>Case No 9603/2023 Shri Sunil Bansal, Director, M/s. Bansal Construction Works Private Ltd., 3rd Floor, Tawa Complex, Bittan Market, E-5, Arera Colony, District-Bhopal (MP)-462016, Prior Environment Clearance for Toda Murum Quarry (Temporary Permit) in an area of 3.50 ha. (1,60,338 cum per annum) (Khasra No. 213, 173 Govt. Land), Village-Toda, Tehsil-Banda, District-Sagar (MP)</u>

This is case of Murum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 213, 173), Village-Toda, Tehsil-Banda, District-Sagar (MP) 3.50 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 01/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील बंसल (ऑनलाईन), श्री अमित खरे और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राहुल यादव, (ऑनलाईन) मेसर्स अमलतास इंवायरो इंडस्ट्रीयल कंसल्टेंट एलएलपी, गुरूग्राम, हरियाणा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय

कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 2067 दिनांक 07/12/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.00 हे. होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

यह अस्थाई अनुज्ञा शासकीय भूमि पर आवंटित है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—27 के सरल क्रमांक—12 पर दर्ज है किंतु जो अक्षांश—देशांस इस खदान के है वह वह अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट से भिन्न है। समिति ने पाया कि चूिक प्रकरण की सही स्थिती ही स्पष्ट नहीं अतः परियोजना प्रस्तावक संबंधित खनिज अधिकारी से पुनरीक्षित अक्षांश—देशांस प्राप्त कर प्रकरण के एप्राईजल हेतु प्रस्तुत करे ।

आज दिनांक 13/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील बंसल (ऑनलाईन), श्री अमित खरे, प्रतिनिधि और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राहुल यादव, (ऑनलाईन) मेसर्स अमलतास इंवायरो इंडस्ट्रीयल कंसल्टेंट एलएलपी, गुरूग्राम, हरियाणा उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा संबंधित खनिज अधिकारी से पुनरीक्षित अक्षांश—देशांस प्राप्त जो उन्होने कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के पत्र क्रमांक 380 दिनांक 01/03/23 के माध्यम से जारी किया है तथा यह जानकारी ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत कर दी गई है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह अस्थाई अनुज्ञा शासकीय भूमि पर आवंटित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार आवंटित खदान के पश्चिम दिशा में 165 मीटर पर तथा पूर्व दिशा में 315 मीटर पर पक्का रोड है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् के दौरान ड्रिलिंग ब्लास्टिंक प्रस्तावित नही है। आवंटित खनन् क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे है जिनके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कोई भी पेड़ काटा जाना प्रस्तावित नही है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—27 के सरल कमांक—12 पर दर्ज है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम 1,60,338 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष ।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.00 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 02.63 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	
ग्राम पंचायत छापरी के अंतर्गत कन्या माध्यमिक शाला में एक कंप्यूटर की व्यवस्था तथा ग्राम तोड़ा के प्राथमिक शाला केंद्र में बच्चों के बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था एवं खेलकूद की	50,000
सामग्री का वितरण	

ग्राम पंचायत छापरी के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के	50,000
विवेक से जरुरत अनुसार राशि व्यय की जाएगी	
कूल	1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, कचनार, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	900
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरोल, कदम, सप्तपर्णी, करंज, जंगल जलेबी, सेमल कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	900
3	ग्रामवासियो में वितरण हेतु (ग्राम तोडा एवं ग्राम पंचायत छपरी )	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, कैथ, सीताफल, महुआ, नींबू, अचार, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2200
4	ग्राम तोडा के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत छपरी के प्राथमिक शाला एवं पंचायत परिसर में	मोलश्री, सेमल, कदम, नीम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
		कुल	4200

(चंद्र मोहन ठाकुर) सदस्य सचिव (डॉ. पी.सी. दुबे) अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

#### **Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:**

- 1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
- 4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
- 6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
- 8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
- 9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
- 10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
- 11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
- 15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
- 16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
- 24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
- 25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
- 29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
  - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
  - f. Plantation and CER activities.
- 30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by

- PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

#### Annexure- 'B'

#### Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries\*

- 1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
- 5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
- 8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4<sup>th</sup> or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
- 9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
- 10. PP shall carry out independent environmental audit at least once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
- 11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
- 13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
- 14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
- 15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.

- 18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
- 19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
- 27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - j. Minable Potential of sand mine.
  - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
  - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
  - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
  - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
  - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
  - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
  - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
  - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
  - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

- 31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

#### Annexure- 'C'

#### Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries\*

- 1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
- 2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
- 3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
- 4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
- 7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
- 10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
- 12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.

- 14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - p. Minable Potential of sand mine.
  - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.

- 30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

#### Annexure- 'D'

#### General conditions applicable for the granting of TOR

- 1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
- 2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
- 3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, waterbodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
- 4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
- 5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
- 6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
- 8. All documents should be properly indexed, page numbered.
- 9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
- 10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
- 11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
- 12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
- 13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
- 14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
- 15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give

- an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
- 16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
- 17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
- 18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
- 19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
- 20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
- 21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
- 22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
- 23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
- 25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
- 28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
- 29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna.
- 30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
- 31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
- 32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2<sup>nd</sup> August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
- 33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.

- 34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
- 35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
  - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
  - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
  - No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
  - PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
- 36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for:
  - Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
  - Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
  - Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
  - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
  - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
  - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

# FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA, following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

- 37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
- 38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
- 39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
- 40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

#### खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :--

- नोट 1:- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मुदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
- नोट 3:- पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मिल्चंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4:— परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5 :- भू—क्षरण स्थल पाये जाने पर भू—संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

#### नोट 6:- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 — 03.0 फिट	03-05 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 — 05.5 फिट	05—10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई—गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		
	तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

#### नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् ४ से ६ पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

#### नोट - 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
	घास प्रजातियाँ। 4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
2	4 पापत स उपा पापत (पृक्ष प्रजाति)	च्यूनरान् पूरा उ नाटर (पावा क बाव न पूरा 03 नाटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, कंरज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियाँ, खस घास अगेव	
	आदि)	में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में
		पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर